न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना-पत्र संख्या :–101/2022 | दायर दिनांक: 16.6.2022

CMS NO:- 2022/187 | पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. प्रभू आ0 रामदेव जाति मीना नि. लक्ष्मीपुरा।
2. मोती आ0 रामदेव जाति मीना नि. लक्ष्मीपुरा।
3. राकेश आ0 मोरपाल जाति मीना नि. लक्ष्मीपुरा।
4. रामप्रकाश आ0 मोरपाल जाति मीना नि. लक्ष्मीपुरा।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री शांतीलाल मीना।

निर्णय दिनांक 20.5.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा प0म0 डोडी की भूमि खसरा नम्बर 162, 165, 166, 168, 213, 328/658, 328/658, 335, 466, 467, 511 जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमे प्रार्थीगणों का हिस्सा निहित है।

यह कि उक्त भूमि पर जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम लक्ष्मीपुरा से भजनेरी रोड से भूमि खसरा नम्बर 475 सिवायचक भूमि से होकर खसरा नम्बर 476 सिवायचक मे हेाते हुए प्रार्थीगणों की खातदेारी भूमि खसरा नम्बर 466 व चाह संख्या 467 पर पहुंचते है जिसको परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। इस रास्ते को प्रार्थीगण सैकडों वर्षो से आवागमन हेतु उपयोग मे ले रहे है। अपने कृषि यंत्रों को ले जा रहे है तथा इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगणों के पास अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण रास्ते में आने वाली भूमि का नियमानुसार कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ, शपथ पत्र, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये जाकर उक्त विवादित रास्ते को 25 फुट चौडा करवा कर रास्ते को भू–अभिलेखों मे दर्ज करवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ द्वारा दिनांक 2.2.2024 को ही रिपोर्ट पेश कर दी गयी है जिसमे उनके द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य एक ओर निकटतम रास्ता है जो भी चाहे गए रास्ता खसरा नम्बर 475 व 476 मे से ही दिया जा सकता है।

पत्रावली मे बहस एकपक्षीय सूनी गयी। प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा मे स्थित प्रार्थीगण की भूमि पर जाने के लिए तहसीलदार नैनवॉ द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है, को दिये जाने मे उन्हे कोई आपत्ती नही है।

हमने प्रार्थीगण विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। बहस मे किये गए विवेचन, प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत समस्त रिपोर्ट्स का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 466 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 475 व 476 मे से संलग्न नक्शा ट्रेस (जिसे आगे जाकर परिशिष्ट क नाम से जाना जावेगा) मे चाहे गए रास्ते को अस्वीकार किया जाकर प्रस्तावित रास्ता जो कि खसरा नम्बर 475 व 476 मे से दिया जाना प्रस्तावित किया है, पर से रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार तहसील नैनवॉ के ग्राम लक्ष्मीपुरा स्थित प्रार्थीगण के खातेदारी/राहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 466 पर आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 475 व 476 मे से प्रस्तावित रास्ता अनुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर, नक्शा ट्रेस जिसमे लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट क नाम दिया जाता है जो इस न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा:–

प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः—

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई X चौडाई	क्षेत्रफल
475	सिवायचक (सरकारी)	बंजड	60 गट्ठा X 4 गट्ठा	240 वर्गगट्ठा अर्थात 0.0971 हैक्टयर
476	सिवायचक (सरकारी)	बा03	15 गट्ठा X 4 गट्ठा	60 वर्गगट्ठा अर्थात 0.0243 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 300 वर्गगट्ठा या 0.1214 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के प्रस्तावित रास्ता अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ

आंशिक नकल नक्शा ट्रेस
ग्राम - लरमीपुरा
तह. - नैनवाँ
जिला - बूंदी

परिशिष्ट 'क'

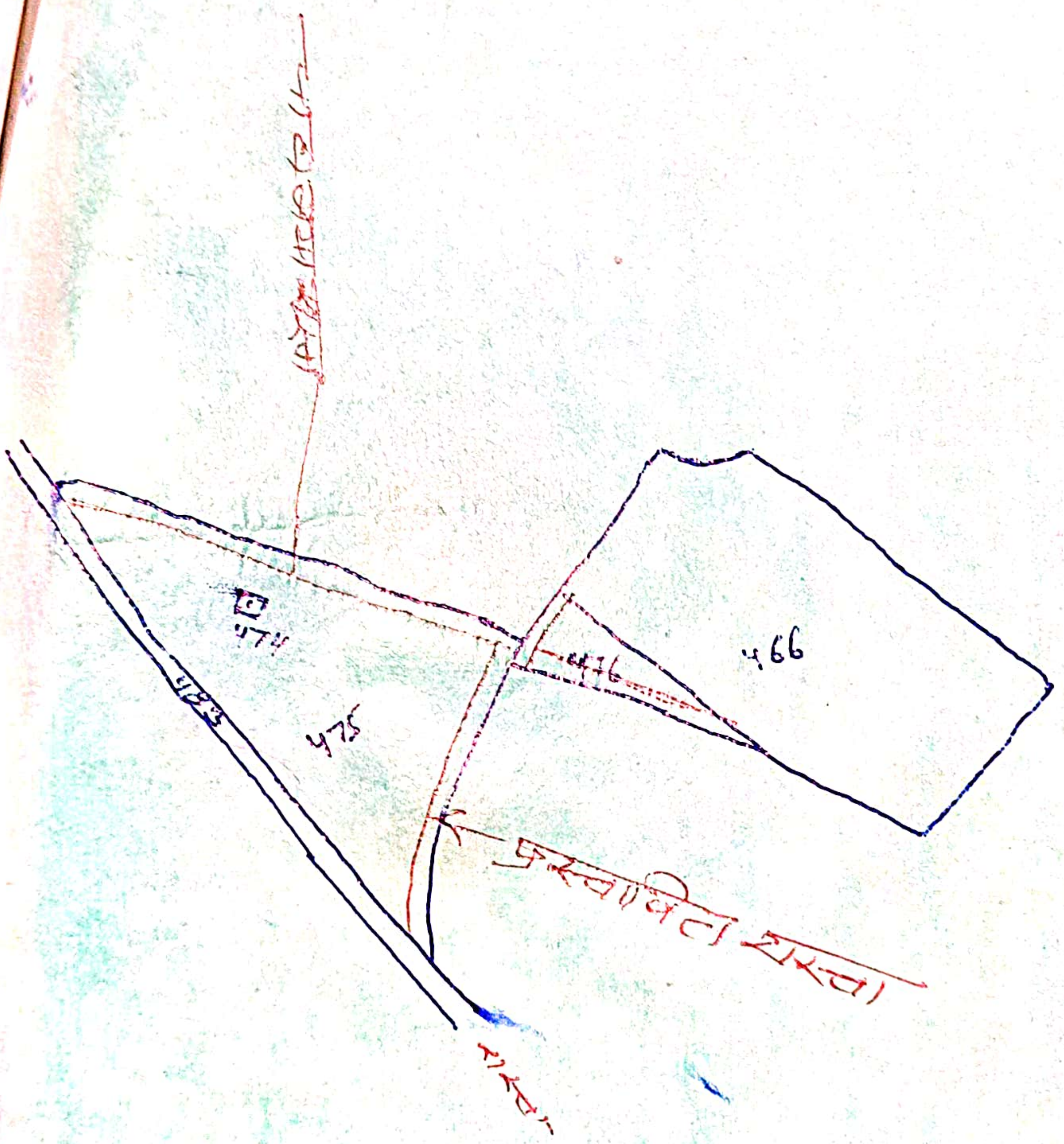

राजकार्य हेतु जारी

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

30/01/24
पटवारी
पटवार मण्डल
नैनवाँ